भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 7/15/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

******

दिनांकः 28/03/2024

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला संख्याः एमटीआर 03/2023

मध्यावधि समीक्षा जांच

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डेकोर पेपर" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) की शुरूआत।

फा.सं. 7/15/2023-डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने अधिसूचना फा. स. 6/38/2020-डीजीटीआर, दिनांक 28 सितंबर, 2021 के माध्यम से अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डेकोर पेपर" (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। तत्पश्चात प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 को समसंख्यक शुद्धि पत्र अधिसूचना जारी की गई थी । केन्द्र सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 27.12.2021 के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. तत्पश्चात प्राधिकारी द्वारा मेसर्स हांगझोऊ हुआवांग मेव मेटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर विशिष्ट शुल्क लगाने की सिफारिश करने वाले विशेष सिविल आवेदन सं. 2021 के

16555 में अहमदाबाद में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 11 जनवरी, 2022 के आदेश के अनुपालन में फा. संख्या 6/38/2020-डीजीटीआर दिनांक 10 अप्रैल, 2022 के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा एक पूरक अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे। निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश को केन्द्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 15/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 मई, 2022 के माध्यम से लगाया गया था।

मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत के लिए अनुरोध और समीक्षा के लिए आधार

3. यत:, नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत आयातकों और निर्यातकों से अन्य बातों के साथ-साथ विचाराधीन उत्पाद के दायरे की समीक्षा और मार्जिन के पुनर्निर्धारण की मांग करते हुए सीमित मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत करने के लिए निम्नलिखित आवेदन प्राप्त हुए हैं:

i. मेसर्स हांगझोऊ हुआवांग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (निर्माता एवं निर्यातक) एवं मेसर्स फकीरसन पापकेम प्रा. लिमिटेड (आयातक)

ii. मेसर्स इंडियन लैमिनेट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएलएमए) और उसके सदस्य (आयातक/प्रयोक्ता) अर्थात् मेसर्स सेंचुरी प्लाई बोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड, मेसर्स मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स जेकेएस डेकोर पेपर एलएलपी और मेसर्स थंसाऊ डेकोर्स प्राइवेट लिमिटेड

4. अपने आवेदन में मेसर्स हांगझोऊ हुआवांग ने परिवर्तित परिस्थितियों जैसे मूल कच्ची सामग्री और अन्य इनपुट की लागत और कीमतों में बदलाव, मात्रा में बदलाव, शुल्क लागू होने के बाद उनके द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु की मात्रा और मूल्य में भारी बदलाव के संबंध में सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की है, जिससे उनके सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से उनके मार्जिनों का पुन: निर्धारण आवश्यक हो गया है।

5. अपने आवेदन में आईएलएमए और इसके सदस्यों आयातक/उपयोगकर्ता के साथ आवेदक ने ऐसे उत्पाद के दायरे की समीक्षा की मांग की है जिस पर इस आधार पर शुल्क लगाया गया है कि अंतिम जांच परिणाम दिनांक 10 अप्रैल, 2022, शुद्धि पत्र अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 और पूरक अंतिम जांच परिणाम दिनांक 10 अप्रैल, 2022 और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27.12.2021 और संख्या 15/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 मई,

2022 में उत्पाद विवरण में विशेष रूप से छूट प्राप्त उत्पाद विवरण के संबंध में एक विसंगति है। यह बताया गया है कि जबकि घरेलू उद्योग स्वीकृत रूप से "मुद्रित डेकोर पेपर" का उत्पादन नहीं करता है, तथापि, छूट प्राप्त उत्पाद विवरण को बिना किसी आधार के "मुद्रित प्रयोग के लिए तैयार डेकोर पेपर" अभिव्यक्ति के साथ उल्लिखित किया गया है और इसकी समीक्षा करने तथा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

जांच की शुरूआत

6. सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 15/2011 दिनांक 1 मार्च, 2011 द्वारा यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के उप नियम (1) और (1क) में अन्य बातों के साथ-साथ इसका पाठ निम्नानुसार है:

7. अधिनियम की धारा 9क के प्रावधान के अंतर्गत लागू कोई पाटनरोधी शुल्क उस समय तक और आवश्यक सीमा तक लागू रहेगा जब तक वह ऐसे पाटन का मुकाबला करता हो जिससे क्षति हो रही है ।

8. निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार, जो समीक्षा की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर जहां आवश्यक हो, किसी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और ऐसे निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के लागू होने से एक तर्कसंगत समयावधि बीत गई हो तथा ऐसी समीक्षा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने या बदले जाने पर घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृति होने की संभावना नहीं है और इसलिए अब शुल्क आवश्यक नहीं है, तो वह केन्द्र सरकार से उसे रद्द करने की सिफारिश करेंगे।

9. पूर्वोक्त नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और यदि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसे शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो प्राधिकारी उसे समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश कर सकते हैं ।

10. प्राधिकारी के समक्ष पूर्वोक्त आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत करना प्रथम दृष्टया उचित समझते हैं ।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

11. इस एमटीआर जांच के प्रयोजनार्थ पीयूसी वही रहेगा जैसा अधिसूचना फा. संख्या 6/38/2020-डीजीटीआर दिनांक 28 सितंबर, 2021 के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम में परिभाषित किया गया, और नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

विचाराधीन उत्पाद "40-130 जीएसएम के रील रूप में अनकोटेड पेपर, जिसकी क्लेम अवशोषण क्षमता कम से कम 12 एमएम प्रति 10 मिनट है, वैट टेंसाइल मजबूती 6-12 एन/15 एमएम, और गुरले पोरोसिटी 10-40 सेकंड/100 एमएल है, तथा जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या पिगमेंट फिलर रूप में होते हैं" (जिसे आगे "डेकोर पेपर" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) । यह उच्च दबाव (एचपीएल) या कम दबाव (एलपीएल) डेकोरेटिव लेमिनेट के लिए एक आधार पेपर होता है, जिसे डेकोरेटिव बेस पेपर, उच्च प्रैशर या कम प्रेशर लेमिनेट्स के लिए डेकोरेटिव पेपर, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के रूप में भी जाना जाता है, परंतु इसमें मुद्रित प्रयोग के लिए तैयार डेकोर पेपर शामिल नहीं है।

विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के डेकोर पेपर शामिल हैं, जैसे सरफेसिंग पेपर (सफेद/ऑफ-व्हाइट), लाइनर (व्हाइट/ऑफ-व्हाइट), बैरियर पेपर, शटरिंग बेस, ओवरले पेपर और प्रिंट बेस पेपर (रंगीन/सफेद)। यह वैक्सिंग, कोटिंग और इम्प्रेगनेशन के लिए बेस पेपर; मुद्रण के लिए बेस पेपर; डेकोरेटिव इंडस्ट्री और बैरियर पेपर में प्रयोग के लिए बेस पेपर के रूप में आयातित किया जा सकता है और यह विभिन्न आकारों जैसे 95 सेमी, 96 सेमी, 102 सेमी, 123 सेमी, 123.5 सेमी, 124 सेमी, 124.5 सेमी, 125 सेमी, 131 सेमी, 132 सेमी, 183 सेमी, 184 सेमी और 185 सेमी के विभिन्न आकारों में आ सकते हैं।

विचाराधीन उत्पाद को प्रेस्ड शीट के रूप में पल्प से उत्पादित किया जाता है जिसे पल्प का घोल बनाने के लिए पानी में डाला जाता है ताकि पल्प को प्रयोग के अनुकूल बनाया जा सके । इस प्रक्रिया के दौरान, फाइबर को अलग किया जाता है । डेकोर पेपर बनाने के लिए फाइबर को यात्रिक कार्य के जरिए शुद्ध किया जाता है और जलीय माध्यम (जल) की मौजूदगी में बनाया जाता है । विनिर्माण प्रक्रिया में अभिवर्धक डाले जाते हैं जिन्हें फाइबर के बीच के स्थानों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि ओपेसिटी, सफेदी में सुधार किया जा सके और सतह में सुधार के द्वारा मुद्रण की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके । तत्पश्चात सफाई के जरिए अवांछनीय चीजों को हटाया जाता है । घुले हुए पल्प विलियन की मात्रा को इसके बाद फाइन, चौड़ी और एक समान शीट के रूप में

बदला जाता है, जिसमें सभी घटक पूर्णत: वितरित होते हैं जिसके बाद शीट को निचोड़ा, सुखाया और कैलेंडर किया जाता है । अंत में शीट को आवश्यकतानुसार स्लॉट में रखा और पैक किया जाता है ।

विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ सीमाशुल्क वर्गीकरण 48059100 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । प्राधिकारी ने उक्त जांच में सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण 48022090 के अंतर्गत आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद पर भी विचार किया है। दोनों सीमाशुल्क वर्गीकरणों पर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है । तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

जांच का दायरा

12. तदनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27.12.2021 और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 15/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 मई, 2022 के माध्यम से लगाए गए चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डकोर पेपर" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की एक व्यापक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं । इस जांच में अधिसूचना फा. संख्या 6/38/2020-डीजीटीआर 28 सितंबर, 2021 के माध्यम से प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम और अधिसूचना फा. संख्या 6/38/2020-डीजीटीआर दिनांक 10 अप्रैल, 2022 के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी पूरक अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे ।

जांच की अवधि

13. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की होगी। तथापि, क्षति जांच अवधि में पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि तथा पीओआई शामिल होगी ।

सूचना प्रस्तुत करना

14. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in; adv13-dgtr@gov.in; jd16-dgtr@gov.in ; jd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा

पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

15. घरेलू उद्योग, संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना के पैरा 19 में उल्लिखित समयसीमा के भीतर समस्त संगत सूचना देने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है । ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

16. **जांच में रुचि रखने वाले पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल जांच में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) बताएं और ऊपर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया/प्रस्तुति दाखिल करें।**

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित ढंग और तरीके से वर्तमान मध्यावधि जांच से संगत अनुरोध कर सकता है ।

18. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

19. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने के लिए वे प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए

जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जाच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर और घरेलू उद्योग के आवेदन संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

22. वर्तमान जांच प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

24. हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है और यह सूचना उचित और पर्याप्त रूप से सारांश रूप में होनी चाहिए ।

.25 अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि और एडी नियमाली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार इस दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के

7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

26. अतः सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार, गोपनीयता के दावे के पर्याप्त कारणों के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोधों को साझा करना

27. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल से भेज दें ।

असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी